रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218640
CG-DL-E-13032020-218640

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941
No. 113] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय भेषजी परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2020

फा. सं. 14–136/2019–भा.भे.परि.–भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद् केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

1. (1) इन विनियमों को भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म) पाठ्यक्रम (संशोधन) विनियम, 2020 के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भेषजी स्नातकोत्तर (एम.फार्म) पाठ्यक्रम विनियम, 2014 के विनियम 3(क) में,

(i) शब्द "बशर्ते कि" के बाद – प्रावधान (क), (ख) और (ग) के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया जाएगाः –

(क) बी.फार्म पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद कम से कम 5 वर्ष का पेशेवर अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए, एम.फार्म प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत में 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट होगी।

(ख) केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जैसा भी मामला हो द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंकों का प्रतिशत अधिकतम अंक (बी.फार्म के चार वर्ष के कुल योग) का 50 प्रतिशत होगा।

(घ) देश के किसी भी भेषजी संस्थान में भेषजी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चुने गए प्रत्येक छात्र को राज्य भेषजी परिषद् में पंजीकृत होना चाहिए अथवा अपने प्रवेश की तारीख से एक महीने के भीतर उसे पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए, जिसमें असफल होने पर अभ्यर्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

अर्चना मुद्गल, निबन्धक–एवं सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./498/19]

नोट : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, संख्या 362 में प्रकाशित किया गया। देखें अधिसूचना संख्या 14–136/2014–पीसीआई दिनांक 10 दिसंबर 2014 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(PHARMACY COUNCIL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2020

F. No. 14-136/2019-PCI.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Master of Pharmacy (M.Pharm) Course Regulations, 2014, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Master of Pharmacy (M.Pharm) Course (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Master of Pharmacy (M.Pharm) Course Regulations, 2014, in regulation 3(a),

(i) After the words "provided that"- for provisos (a), (b), (c) the following provisos shall be substituted namely:-

(a) For candidates having not less than 5 years professional experience, after passing B. Pharm course, there shall be a relaxation in pass percentage from 55% to 50% for admission to M.Pharm programme.

(b) There shall be reservation of seats for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions issued by the Central Government/State Government/Union Territory Administration, as the case may be, from time to time.

(c) For SC/ST candidates the prescribed percentage of marks will be 50 % of the maximum marks (aggregate of four years of B.Pharm).

(d) Every student, selected for admission to postgraduate pharmacy course in any of the pharmacy institution in the country should have obtained Registration with the State Pharmacy Council or should obtain the same within one month from the date of his admission, failing which the admission of the candidate shall be cancelled.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./498/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III–Section 4, No. 362 vide notification No.14-136/2014-PCI dated the 10th December, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.13 19:13:02 +05'30'